270

संख्या– — /XVIII-(2)/16-4(20)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
डी.डी.एम.ए., रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 21 नवम्बर, 2016

विषयः– **श्री केदारनाथ यात्रा–2016 की व्यवस्थाओं एवं गतिमान पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एस.डी.एम.ए. मद के अंतर्गत धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–486/डी.डी.एम.ए./2015–16, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके श्री केदारनाथ में गतिमान पुनर्निमाण यात्रा व्यवस्था कार्यो के लिये एस0डी0एम0ए0 (राज्य सेक्टर) के अंतर्गत ₹ 400.00 लाख धनावंटन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं, गतिमान पुनर्निर्माण कार्यो, हेतु एस.डी.एम.ए मद के अन्तर्गत ₹ 2.00 करोड (₹ दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त कार्य पुनर्निर्माण कार्यो के निरन्तरता व यात्रा व्यवस्था की तैयारी से सम्बन्धित है। अतः उक्त कार्यो को शासनादेश संख्या–966, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो में किसी प्रकार का दोहराव न हो।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
6. व्यय की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में लेखाकंन एवं लेखा परीक्षण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी.डी.एम.ए., रूद्रप्रयाग का होगा।
7. किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ किये जाने तथा कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त फोटोग्राफ/अभिलेख आदि सुरक्षित रखे जायेंगे तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना शासन को अवगत कराया जायेगा।

8. भविष्य में यात्रां व्यवस्थाओं हेतु धनराशि का प्रस्ताव यथासमय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
9. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2017 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
10. शासनादेश संख्या–966, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–आपदा प्रबन्धन प्राधिरकरण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–159**P**/वित्त अनु0–5/2016, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 2241 ( )**/XVIII-(2)/2016-4(20)/2016, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव